न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 725–दो/2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण कमांक 148/09–10/निगरानी.

बद्रीनारायण पिता मूलचन्द
आयु 58 साल व्यवसाय खेती
निवासी महूगांव तहसील महू जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

रामेश्वर पिता मूलचन्द
आयु 60 साल व्यवसाय रिटायर्ड
निवासी 294/4 पंचमूति इंदौर

.....अनावेदक

श्री एस0 के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री लीलेश शर्मा अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 11 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा उसके स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 71/1 एवं सर्वे कमांक 74/1 कुल रकबा 0.769 हेक्टेयर का सीमाकंन कराया गया और उक्त भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा होना पाया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि का अनावेदक को कब्जा दिलाया जाये तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 10/अ–70/08–09 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई

कार्यवाही के दौरान तहसीलदार द्वारा आदेशिका दिनांक 3–5–2010 में इस [illegible] उल्लेख करते हुये कि प्रकरण प्रति परीक्षण हेतु नियत । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा 25[illegible] में प्रस्तुत बहस का श्रवण किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु [illegible] चाहा है । समय दिया जाता है, पेशी दिनांक 7–5–2010 नियत की गई । तहसीलदार [illegible] उक्त आदेशिका के विरूद्ध आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–5–2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क के दौरान केवल यही कहा गया कि निगरानी मेमो में उल्लिखित आधार ही उनके तर्क है । निगरानी मेमो में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) स्वत्व के प्रश्न के संबंध में व्यवहार वाद प्रचलित रहते हुये भी क्षेत्राधिकार के विपरीत निरस्ती योग्य प्रकरण तहसील न्यायालय द्वारा चलाया जा रहा है । तहसीलदार द्वारा आदेशिका दिनांक 3–5–2010 को सच्चाई न अंकित करते हुये गलत एवं मनमाने रूप से लिखा है, जिस कारण प्रार्थी अधिवक्ता को मार्जिन में लिखना पड़ा की आवेदक अनावेदक का कूट परीक्षण करने के लिये तत्पर है ।

(2) तहसील न्यायालय 6 माह के कब्जे को ही हटा सकता है, जबकि इस प्रकरण में आवेदक का 1977 से लगातार कब्जा चला आ रहा है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को अनावेदक के कूट परीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है और मनमाने तरीके से लिखकर आदेश हेतु 28–5–2010 नियत की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह निगरानी प्रचलन योग्य ही नहीं है, क्योंकि तहसीलदार के जिस आदेशिका को चुनौती दी जा रही है उसमे कोई आदेश ही पारित नहीं हुआ है । यह भी कहा गया कि व्यवहार वाद जो कि आवेदक द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है वह भी निरस्त हो गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत आधे–आधे भाग का बंटवारा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक बाहर नौकरी करता था, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा था और उसके सर्विस से वापस आने पर उसे भूमि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय की आदेशिका दिनांक 3–5–2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा इस आदेशिका में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कर आवेदक द्वारा बहस हेतु समय चाहने पर समय दिया गया है और प्रकरण में 7–5–2010 नियत की गई है । अतः इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः विधिसंगत है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 3–5–2010 को कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर इस आशय की मांग की गई थी कि स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है और स्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र भी विचाराधीन है, अतः तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही अविलंब रोकी जाये । इस संबंध में भी अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर ही प्रस्तुत किया गया है, जो कि अपने स्थान पर उचित है। अतः उपरोक्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा निगरानी अग्राह्य करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि तहसीलदार केवल 6 माह का कब्जा हटा सकता है और प्रश्नाधीन भूमि पर वर्ष 1977 से आवेदक का लगातार कब्जा चला आ रहा है और तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को कुट परीक्षण का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रकरण में अभी तहसील न्यायालय द्वारा अंतिम निराकरण किया जाना है जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे इस न्यायालय में उठाये गये आधारों को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–2010 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर